सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 286 राँची, शुक्रवार, 9 वैशाख, 1938 (श०)
29 अप्रैल, 2016 (ई०)

योजना-सह- वित्त विभाग (वित्त प्रभाग)

संकल्प

28 अप्रैल, 2016

विषय: राज्य सरकार के पेंशन/पारिवारिक पेंशनभोगियों को 01 जनवरी, 2016 के प्रभाव से महँगाई राहत की दरों में अभिवृद्धि।

संख्या-वि.प्र. 6ए-12/2013/1242/वि०--वित्त विभाग के संकल्प संख्या 660/वि०, दिनांक 28 फरवरी, 2009 2009 के द्वारा राज्य सरकार के पेंशनधारियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को केन्द्र सरकार के पेंशनधारियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों की भांति दिनांक 01जनवरी, 2006 के प्रभाव से केन्द्रीय पेंशन/पारिवारिक पेंशन की स्वीकृति प्रदान की गई है। उक्त संकल्प की कंडिका-17(ए०)(बी०) के द्वारा सरकार के पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों के अनुरूप दिनांक 1 जनवरी, 2006 से राज्य सरकार के

पेंशनभोगियों को पेंशन/पारिवारिक पेंशन के पुनरीक्षण एवं अन्य सुविधायें सहित महँगाई राहत प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।

2. भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के पेंशन एवं पेंशन कल्याण विभाग विभाग के पत्र संख्या-42/06/2016 P&PW(G) दिनांक 11 अप्रैल, 2016 के द्वारा केन्द्रीय पेंशन/पारिवारिक पेंशनधारियों को पुनरीक्षित पेंशन में दिनांक 01 जनवरी, 2016 के प्रभाव से 119% (एक सौ उन्नीस प्रतिशत) प्रतिशत) से बढ़ाकर 125% (एक सौ पच्चीस प्रतिशत) महँगाई राहत के रूप में स्वीकृत किया गया है।

3. उपर्युक्त पृष्ठभूमि में केन्द्रीय सरकार के पेंशन/पारिवारिक पेंशनधारियों के अनुरूप राज्य सरकार ने भी राज्य के पेंशन/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक 1 जनवरी, 2016 के प्रभाव से महँगाई राहत 119% (एक सौ उन्नीस प्रतिशत) से अभिवृद्धि कर 125% (एक सौ पच्चीस प्रतिशत) महँगाई राहत के रूप में स्वीकृत करने का निर्णय लिया है।

4. उक्त दर पर महँगाई राहत की गणना पुनरीक्षित पेंशन अथवा दिनांक 1 जनवरी, 2006 के पश्चात् सेवानिवृत्त के समय प्राधिकृत पेंशन के समेकित पेंशन राशि पर किया जायेगा।

5. महँगाई राहत की स्वीकृति के कारण भुगतेय राशि में यदि 50 पैसे या उससे अधिक गणना आती हो, तो अगले उच्चतर रुपये में इसे पूर्णांकित किया जायेगा और 50 पैसे से कम की राशि को छोड़ दिया दिया जायेगा।

6. पेंशन/पारिवारिक पेंशन पर आदेय महँगाई राहत का भुगतान करते समय वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 3556/वि०, दिनांक 09 मई, 1991 में समाविष्ट निदेशों का अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा। होगा। उक्त स्थितियों को छोड़कर महँगाई राहत शेष सभी असैनिक पेंशनभोगियों को देय होगा, जिन्हें क्षतिपूर्ति/बार्धक्य निवृत्ति/ असमर्थता पेंशन प्राप्त है। औपबंधिक/ पारिवारिक/ असाधारण पेंशन पाने वाले को भी आदेय महँगाई राहत का भुगतान अनुमान्य होगा।

7. पेंशन/पारिवारिक पेंशनभोगियों को इस महँगाई राहत के भुगतान में विलंब के परिहार्य हेतु झारखंड कोषागार संहिता 2016 के नियम-199 के तहत राज्य के अंतर्गत बिना महालेखाकार, झारखंड के प्राधिकार के ही भुगतान का आदेश दिया जाता है। पेंशनभोगियों द्वारा प्रस्तुत विपत्र के आधार पर कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारी महँगाई राहत की राशि का भुगतान करेंगे। साथ ही, सभी कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारियों को निदेश दिया जाता है कि बैंको के माध्यम से पेंशन का भुगतान प्राप्त करने वाले पेंशन/पारिवारिक पेंशनभोगियों को त्वरित भुगतान कराने हेतु संबंधित सभी बैंकों को इसकी प्रतियाँ भेज दिये जाय।

8. राज्य के बाहर आदेय महँगाई राहत की निकासी केवल महालेखाकार, झारखंड के प्राधिकार पर ही किया जायेगा। इस हेतु महालेखाकार, झारखंड से अनुरोध है कि सभी संबंधित महालेखाकार को इस हेतु अविलंब प्राधिकृत कर दिया जाय तथा इसकी सूचना झारखंड सरकार, योजना -सह-वित्त विभाग को भी दी जाय।

9. दिनांक 1 जनवरी, 2016 के प्रभाव से स्वीकृत इस महँगाई राहत की राशि का भुगतान करते समय पूर्ववर्ती कंडिकाओं में निहित सभी प्रावधानों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाय। भुगतान के समय भुगतान की जाने वाली महँगाई राहत की राशि की शुद्धता की जाँच कर लेना भुगतान करने वाले पदाधिकारियों का दायित्व होगा।

10. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति वित्त विभागीय संलेख ज्ञापांक 1192/वि. दिनांक 22 अप्रैल, 2016 के क्रम में दिनांक 26 अप्रैल, 2016 की बैठक के मद सं. 04 में दी गई है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अमित खरे,

अपर मुख्य सचिव।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 286–50 ।